

सोशल

मीडिया

सेल

जनपद

आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति

थाना-देवगांव

अवैध कड़ा, कारतूस व 4,020 रुपये के साथ लूट के 02 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 13.09.2020 को प्र०नि० संजय कुमार सिंह थाना देवगाँव आजमगढ़, निरीक्षक अपराध राकेश कुमार सिंह थाना देवगाँव आजमगढ़, उ.नि. रंजय कुमार सिंह थाना देवगाँव आजमगढ़ मय हमराह द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन, गिरफ्तारी वांछित अभियुक्त के क्रम में मेहनाजपुर तिराहे पर थे इसी दौरान मेहनाजपुर तिराहे की तरफ से एक बाईक से दो व्यक्ति देवगाँव की तरफ से आते हुए दिखाई दिये। जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो बाईक को वहीं मुड़ाकर मेहनाजपुर की तरफ भागने लगे। अपराधी होने का शक होने पर पीछा किया गया कि मोलनापुर ओवरब्रिज के पास उनकी मोटरसाईकिल बंद हो गई तब तक पुलिस बल के लोग पहुंच गए तथा भागते हुए व्यक्तियों का पीछा किया गया तो हम पुलिस बल को पीछे आते देख उसके द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस बल द्वारा सिखलाये हुए तरिके से अपने आप को बचाते हुए दोनों व्यक्तियों को घेरकर ओवरब्रीज से 40 कदम दूर मेहनाजपुर की तरफ पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों का नाम पता पुछने पर उन्होने अपना नाम क्रमशः 1. किशन सोनकर उर्फ जैकी पुत्र संजय सोनकर ग्राम दरियापुर नेवादा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ 2. सत्येंद्र यादव पुत्र दशरथ यादव ग्राम पलिया थाना केराकत जनपद जौनपुर बताए। मौके पर तलाशी में अभियुक्त किशन सोनकर के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस तथा 1650/ रु० नगद बरामद हुआ तथा दूसरे व्यक्ति सत्येंद्र यादव के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर तथा 2370/ रु० नगद बरामद हुआ जिसको समय 5.30 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 208/2020 धारा 307 भादवि व 3/25 आयुध अधि० पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पुछताछ का विवरण: - अभियुक्तगणों से बरामद हुए अवैध तमंचा व रुपये के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर बताये कि दिनांक 19.08.2020 को दिन में करीब 12 बजे देवगाँव में एक कपड़ा व्यवसायी की दुकान पर जाकर उसको कपड़ा दिखाने के लिए कहा गया जैसे ही व्यापारी उठकर रैक से कपड़ा दिखाने के लिए निकालने गया कि हमलोगो ने पीछे से उसे धक्का देते हुए गले से सिकड़ी छीन लिया तथा मौके से फरार हो गये। हमलोगो ने सिकड़ी को 26 हजार रुपये में बेच दिया और पैसा आपस में बाट लिया। बरामद पैसे उसी लूट की घटना से सम्बन्धित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

- 1- किशन सोनकर उर्फ जैकी पुत्र संजय सोनकर ग्राम दरियापुर नेवादा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
- 2- सत्येंद्र यादव पुत्र दशरथ यादव ग्राम पलिया थाना केराकत जौनपुर

बरामदगी

1. अभि० किशन सोनकर के कब्जे से एक अदद नाजायज कड़ा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 1650/ रु० नगद बरामद

प्रेस विज्ञप्ति
थाना-देवगांव

अवैध कड़ा, कारतूस व 4,020 रुपये के साथ लूट के 02 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 13.09.2020 को प्र0नि0 संजय कुमार सिंह थाना देवगाँव आजमगढ़, निरीक्षक अपराध राकेश कुमार सिंह थाना देवगाँव आजमगढ़, उ.नि. रंजय कुमार सिंह थाना देवगाँव आजमगढ़ मय हमराह द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन, गिरफ्तारी वांछित अभियुक्त के क्रम में मेहनाजपुर तिराहे पर थे इसी दौरान मेहनाजपुर तिराहे की तरफ से एक बाईक से दो व्यक्ति देवगाँव की तरफ से आते हुए दिखाई दिये। जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो बाईक को वहीं मुड़ाकर मेहनाजपुर की तरफ भागने लगे। अपराधी होने का शक होने पर पीछा किया गया कि मोलनापुर ओवरब्रिज के पास उनकी मोटरसाईकिल बंद हो गई तब तक पुलिस बल के लोग पहुंच गए तथा भागते हुए व्यक्तियों का पीछा किया गया तो हम पुलिस बल को पीछे आते देख उसके द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस बल द्वारा सिखलाये हुए तरिके से अपने आप को बचाते हुए दोनों व्यक्तियों को घेरकर ओवरब्रीज से 40 कदम दूर मेहनाजपुर की तरफ पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों का नाम पता पुछने पर उन्होंने अपना नाम क्रमशः 1. किशन सोनकर उर्फ जैकी पुत्र संजय सोनकर ग्राम दरियापुर नेवादा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ 2. सत्येंद्र यादव पुत्र दशरथ यादव ग्राम पलिया थाना केराकत जनपद जौनपुर बताए। मौके पर तलाशी में अभियुक्त किशन सोनकर के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस तथा 1650/ रु0 नगद बरामद हुआ तथा दूसरे व्यक्ति सत्येंद्र यादव के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर तथा 2370/ रु0 नगद बरामद हुआ जिसको समय 5.30 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 208/2020 धारा 307 भादवि व 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पुछताछ का विवरण: - अभियुक्तगणों से बरामद हुए अवैध तमंचा व रुपये के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर बताये कि दिनांक 19.08.2020 को दिन में करीब 12 बजे देवगाँव में एक कपड़ा व्यवसायी की दुकान पर जाकर उसको कपड़ा दिखाने के लिए कहा गया जैसे ही व्यापारी उठकर रैक से कपड़ा दिखाने के लिए निकालने गया कि हमलोगो ने पीछे से उसे धक्का देते हुए गले से सिकड़ी छीन लिया तथा मौके से फरार हो गये। हमलोगो ने सिकड़ी को 26 हजार रुपये में बेच दिया और पैसा आपस में बाट लिया। बरामद पैसे उसी लूट की घटना से सम्बन्धित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

- 1- किशन सोनकर उर्फ जैकी पुत्र संजय सोनकर ग्राम दरियापुर नेवादा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
- 2- सत्येंद्र यादव पुत्र दशरथ यादव ग्राम पलिया थाना केराकत जौनपुर

बरामदगी

1. अभि0 किशन सोनकर के कब्जे से एक अदद नाजायज कड़ा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 1650/ रु0 नगद बरामद
2. अभियुक्त सत्येंद्र यादव के कब्जे से एक अदद नाजायज कड़ा 315 बोर, 2370/ रु0 नगद बरामद

3. एक अदद मोटरसाईकिल ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0- 208/2020 धारा 307 भादवि व 3/25 आयुध अधि0 थाना देवगाँव आजमगढ

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-178/2020 धारा 392,411 भादवि थाना देवगाँव जनपद आजमगढ ।
2. मु0अ0स0- 208/2020 धारा 307 भादवि व 3/25 आयुध अधि0 थाना देवगाँव आजमगढ ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

प्र.नि. संजय कुमार सिंह थाना देवगाँव आजमगढ, निरीक्षक अपराध राकेश कुमार सिंह थाना देवगाँव आजमगढ

उ.नि. रंजय कुमार सिंह थाना देवगाँव आजमगढ, का0 परवेज अख्तर थाना देवगाँव आजमगढ